

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 465
दिनांक 09 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

महिला मृत्यु दर

465. श्री उन्मेश भैयासाहेब पाटिल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री कृष्णपालसिंह यादव:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का 18-23 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं की मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्य योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा महिला मृत्यु दर के मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य-वार कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) 18-20 आयु वर्ग महिलाओं की शिशु को जन्म देते समय होने वाली मृत्यु की संख्या कितनी है; और
- (घ) क्या सरकार का विचार बाल मृत्यु दर की समस्या का समाधान करने और देश में मृत्यु दर में वृद्धि को रोकने के लिए राज्यों में एक समिति गठित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। हालांकि, मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को कम करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएच+एन) रणनीति कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग करता है। नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 2016-18 में 113 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म रह गई है।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

- i. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) बिना किसी लागत के सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु के लिए शून्य सहिष्णुता प्रदान करता है ताकि सभी रोकथाम करने योग्य मातृ और नवजात मृत्यु को समाप्त किया जा सके।
- ii. जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक मांग संवर्धन और सशर्त नकद अंतरण स्कीम

- iii. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के तहत, प्रत्येक गर्भवती महिला सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त परिवहन, निदान, दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और आहार के प्रावधान सहित सीजेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव की हकदार है।
- iv. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) में हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा निश्चित दिन, निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच का प्रावधान है।
- v. लक्ष्य प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल सके।
- vi. मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) आईसीडीएस के अभिसरण में पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल की व्यवस्था के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पहुंच गतिविधि है।
- vii. डिलीवरी पॉइंट्स- व्यापक आरएमएनसीएच+एन सेवाओं की व्यवस्था के लिए अवसंरचना, उपकरणों और प्रशिक्षित जनशक्ति के संबंध में देश भर में 25,000 से अधिक 'डिलीवरी पॉइंट्स' को सुदृढ़ बनाया गया है।
- viii. गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के लक्षण, लाभकारी स्कीमों और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए एमसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरित की जाती है।
- ix. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए प्रसवपूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल सहित नियमित और संपूर्ण सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करने वाली एक नाम-आधारित वेब सक्षम ट्रेकिंग प्रणाली है।

भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन जारी करता है। बुलेटिन समग्र मातृ मृत्यु दर पर डेटा प्रदान करता है। तथापि, 18-20 आयु समूह की महिलाओं की शिशु को जन्म देते समय हुई मौतों की संख्या रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2015 से बाल मृत्यु समीक्षा (सीडीआर) दिशानिर्देशों को लागू कर रहा है। बाल मृत्यु समीक्षा की प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला और राज्य स्तरीय कार्य बल का गठन किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की अध्यक्षता में हर तिमाही में समीक्षा बैठक की जाती है और चिन्हित कमियों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
